

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
—:अधिसूचना:—

संचिका संख्या :-06/अ0-03-25/2009

पटना, दिनांक—

श्री श्रवण कुमार, राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण), तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर को वित्त विभाग के पत्रांक-8043 दिनांक-11.10.2017 की कंडिका 3 (G) (i) छुट्टी यात्रा रियायत (LTC) की सुविधा प्रदान किये जाने के प्रावधान के आलोक में दिनांक-05.04.2025 से 10.04.2025 तक तिरुवनंतपुरम (केरल) की सपरिवार छुट्टी यात्रा रियायत (LTC) उपभोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/-

(ज्योति प्रकाश)

सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-06/अ0-03-25/2009

1333

पटना, दिनांक-20/03/2025

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, मुजफ्फरपुर/राज्य-कर अपर आयुक्त (अंकेक्षण), तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर/राज्य-कर उपायुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी, एच0आर0एम0एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्री श्रवण कुमार, राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण), तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर को इस आशय की सूचना के साथ प्रेषित कि याचित अवधि की स्वीकृति एच0आर0एम0एस0 के माध्यम से करायेंगे।

सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग
बिहार, पटना।